न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 62/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00048

1. यशपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय दयाराम जाति डडवाल निवासी मकान नम्बर 35 'ए' हाउस रोड़, किरकी, पूणे (महाराष्ट्र) 411003 हाल कार्यरत 7 आर.आर. (पंजाब) 934507 C/O 56 ए.पी.ओ द्वारा मुखत्यार मलकीयत सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं. 13 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजकुमारी पत्नी स्वं. विनोद कुमार पुत्र दयाराम जाति घिवान निवासी बाल्टा तहसील देहरा जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज।
3. उप पंजीयक श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक बाजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः

अभिभाषक अपीलांट	श्री विजय कुमार पारीक
रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4	एक तरफा कार्यवाही
रेस्पोडेन्ट संख्या 3	अनुपस्थित
राजकीय अभिभाषक	मो. इम्तियाज अली

निर्णय

दिनांक 13.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.01.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 2 बीएलडी (बी) के पत्थर नंबर 186/383 के किला नंबर 1 ता 25 के कुल 6.0720 हैक्टयर कृषि भूमि अपीलांट की माता दुर्गी देवी को पोंग बांध विस्थापित होने के कारण हिमाचल प्रदेश में स्थिति भूमि के बदले में आवंटित हुई थी। श्रीमती दूर्गीदेवी के अपीलांट यशपाल तथा विनोद कुमार के दो पुत्र है। जिनमें से एक पुत्र विनोद कुमार का देहान्त हो चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजकुमारी अपीलांट के भाई विनोद कुमार की पत्नी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार श्रीविजयनगर के समक्ष रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत कर अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक

संभागीय आयुक्त बीकानेर

10.12.2007 जारी कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 10.12.2007 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपील यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पूर्ण जांच की जाकर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31.01.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की माता दुर्गी देवी को वादगत भूमि पौंग बांध विस्थापित होने के कारण हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि के बदले आंवटित हुई थी। हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि दुर्गी देवी को विरासतन प्राप्त हुई थी। जैर अपील भूमि उस भूमि के बदले में आवंटित की गई थी। श्रीमती दुर्गीदेवी के अपीलांट एवं विनोद कुमार दो पुत्र है जिनमें से एक पुत्र विनोद कुमार का देहान्त हो चुका हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 राजकुमारी अपीलांट के भाई विनोद कुमार की पत्नी है। जैरअपील भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक कुटरचित वसीयत के द्वारा अपने पक्ष में इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 10.12.2007 जारी करवा लिया। अपीलांट की माता दुर्गी देवी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं करवाई गई थी। तथाकथित वसीयत फर्जी कूटरचित है। अपीलांट की माता दुर्गी देवी जो अशिक्षित व ग्रामीण पृष्ठ भूमि की होने का फायदा उठाकर करवाई गई थी। अपीलांट की माता की मानसिक स्थिति भी ऐसी नही थी कि अपने भले बुरे का ज्ञान जानते हुए स्वैच्छा से व स्वस्थचित होकर वसीयत का निष्पादन कर सकें। वादगत भूमि जो हिमाचल प्रदेश में पूर्वजों से विरासतन प्राप्त भूमि के बदले में यहां आवंटित होने से पैतृक भूमि है जिसकी वसीयत करने का भी अपीलांट की माता दुर्गी देवी को अधिकार नहीं था। इसलिए भी जैरअपील आदेश निरस्त योग्य है। वादगत भूमि पर अपीलांट का कब्जा रहा है जो आज तक चला आ रहा है। उक्त वादगत भूमि देखभाल व काश्त आदि करवाने की कार्यवाही आज तक अपीलांट ही करता आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का जैर अपील भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्त है। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने इंतकाल दर्ज करने के आदेश को सही माना है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ का निर्णय दिनांक 31.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा वसीयतकर्त्ता के सभी वारिसान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया। सार्वजनिक सूचना दैनिक अखबार प्रकाशित करवाई गई। वादगत भूमि के संबंधित पटवारी हल्का से पूर्ण जांच कर रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार निर्णय पारित किया गया हैं। अधीनस्थ

न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा पूर्ण जांच की जाकर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। अति. जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.01.2014 नियमानुसार सही है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2014 पारित करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिनांक 10.12.2007 को विधिसम्मत मानते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश दिनांक 10.12.2007 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया गया और न ही किसी सक्षम न्यायालय में चैलेंज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2014 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/11/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर